छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 3–11/2015/1–9 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई, 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

विषयः–शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।

–0–

शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–3/1–9/2006 दिनांक 10.04.2006 द्वारा निर्देश जारी किया गया है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

विगत 25 जुलाई, 2022 से कर्मचारी संगठनों के आव्हान पर कई कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति के संबंध में उपरोक्त परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(मेरी खेस्स) 29/07/2022
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3–11/2015/1–9 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई, 2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय नवा रायपुर।
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
4. विशेष सहायक/निज सचिव समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यालय रायपुर।
6. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर।

क्रमशः..2

Scanned with CamScanner

7. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर।
8. सचिव, छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा।
10. सचिव, लोक आयोग/महिला आयोग/युवा आयोग/जनजाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्प संख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
12. संचालक, जनसंपर्क रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

29/07/2022
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2—3/1—9/2006 रायपुर, दिनांक 10/4/06

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

विषय:— शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।

000

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम—6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़तालें और "स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान" राज्य के शासकीय सेवकों के लिये प्रतिबंधित है । इसके संबंध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्देश जारी किये गये है । परंतु यह देखने में आया है कि उक्त प्रकार के प्रतिबंधित कृत्य किये जाने पर संबंधित शासकीय कर्मचारियों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

2/ अतः प्रशासन में अनुशासनबद्धता की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पुनः निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :—

(अ) शासकीय सेवकों के उपर्युक्त प्रकार के कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार कदाचरण (MISCONDUCT) की श्रेणी में आते है । यह बात सर्व संबंधितों को अवगत कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि उनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने पर वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी होगें ।

(1) बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा, न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा । ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नहीं होगा और इस अवधि को "ब्रेक—इन—सर्विस" माना जाएगा ।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किये जाएं तो ऐसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरूद्ध गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकेंगे ।

2..

Scanned with CamScanner

(ब) पैरा–2 (अ) में बतायी गयी सामान्य नीति में यदि कुछ अन्य रियायतें देने हों, जिनके लिए कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण औचित्यपूर्ण आधार विद्यमान हो तो ऐसी रियायतें देने के प्रस्ताव अभिलिखित रूप से, कारण दर्शाते हुए विभागाध्यक्षों द्वारा शासन के विचार हेतु भेजे जाएं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(आर. पी. बगाई)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
रायपुर,दिनांक 10-4-06

पृ.क. एफ 2–3/1–9/2006
प्रतिलिपि:–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
5. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
6. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
9. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
10. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
11. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा
13. सचिव, लोक आयोग/महिला आयोग/युवा आयोग/जनजाति आयोग/मानव अधिकारी आयोग/अल्प संख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
14. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
15. संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर
16. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner